

पुनश्च: 02.08.17

पुलिस थाना मौ की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आरोपी जण्डेल सिंह पुत्र महावीर सिंह को गिरफ्तार कर पेश किया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपी की ओर से श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. आवेदक की ओर से पेश किया। आवेदन की नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा जमानत पर आपत्ति व्यक्त की गयी।

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में आरोपी जण्डेल सिंह पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत उर्जा चोरी की धारा 135 के तहत प्रत्यक्ष रूप से तार डालकर 5 हॉर्स पावर की ट्यूबबैल पर लगी विद्युत मोटर को चलाकर चोरी की। जिससे विभाग को 24848 रुपए की हानि हुई। उक्त राशि की वसूली हेतु यह परिवाद पेश किया गया है।

प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि परिवादी द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। उसे परिवाद की जानकारी नहीं थी। उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण की परिस्थिति एवं प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना तथा अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी स्वयं पेशी पर उपस्थित होने बावत् रुपए 15000 की जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 27.10.17 को आरोप तर्क हेतु पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद